न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 272/2021

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि0) रजि0 कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर– 302001, राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छितरमल उम्र 38 साल

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. सत्यवीर सिंह पुत्र पालाराम, उम्र 47 साल,
2. श्रीमती रोशनी पत्नि सत्यवीर सिंह पुत्री रामसिंह पूनियां, उम्र 38 साल,
3. राजेन्द्र पुत्र पालाराम, उम्र 48 साल,
   समस्त जातियान जाट, निवासी पदमपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं– 333028

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

——

उपस्थितः–

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0) – प्रार्थी बैंक की ओर से
2. अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 06.07.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वितीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 5,00,000/–रूपये अक्षरे पांच लाख रूपये की ऋण सुविधा खाता सं0 L9001060115485778 दिनांक 30.08.2018 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है– अचल संपत्ति– पट्टा एट पट्टा नं0 42, बुक सं0 54, पदमपुरा स्टेण्ड, पदमपुरा, ग्राम पंचायत किशोपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं नपति 463.04 वर्ग गज अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है–

पूरब में	मकान बीरबलराम जाट, दीपाराम जाट	पश्चिम में	मकान बनवारी शर्मा
उत्तर में	मकान लादूराम	दक्षिण में	आम रास्ता

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनाक 11.01.2021 को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीगत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 13.07.2021 द्वारा अ0धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन एक्ट 2002 के तहत [illegible] 60 [illegible] ऋण राशि 4,61,057/रू0 अक्षरे चार लाख इकसठ हजार सतावन रूपए मय ब्याज व ख[illegible] दिन[illegible] 11.01.2021 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभू[illegible] को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का [illegible] मूल्य प्राप्त करने के लिए संपत्ति को भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्य[illegible] की धारा 14 के त[illegible] प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान [illegible] क्षेत्राधिकार में अवस्थित [illegible]चल संपत्ति पट्टा एट पट्टा नं0 42, बुक सं0 54, पदमपुरा स्टेण्ड, पदमपुरा, ग्राम पंचायत किशोपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं नपति 463.04 वर्ग गज अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पूरब में	मकान बीरबलराम जाट, दीपाराम जाट	पश्चिम में	मकान बनवारी शर्मा
उत्तर में	मकान लादूराम	दक्षिण में	आम रास्ता

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत संपति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे एक्ट के प्रावधानानुसार संपति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थीगण सं0 3 राजेन्द्र सिंह के मालिकाना हक की प्रोपर्टी पट्टा नं0 42, बुक सं0 54, पदमपुरा स्टेण्ड, पदमपुरा, ग्राम पंचायत किशोपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं नपति 463.04 वर्ग गज भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को बैंक द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक **06.07.2022** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं